न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 08/2020

अनवान :–

1. दिलवार खां पुत्र भादरखां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी दिपलाना तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. असलम खां पुत्र भादरखां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. अहमद अली पुत्र भादर खां जाति मुसलमान कायमखाानी निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 29/7/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 55/53 के प0न0 336/443(55) के किला न0 12/1 ,12/2 ,13 ,14/2 की कुल 0.6330हैक बतौर खातेदारी दर्ज है।

गैरसायल न0 2 की रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता सख्या 8/5 के प0न0 336/443(55) के किला न0 22/2 मिन पश्चिम में 0.0130हैक भूमि व गैरसायल न0 1 की रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 6/3 के प0न0 336/443(55) के किला न0 19/2 के मिन पश्चिम के 0.0130हैक भूमि में से सायल अपने खेत किला न0 12/2 में प्रवेश करता है सायल इसी रास्त से अपने खेत में आता जाता रहा है।

सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है एवं प्रश्नगत रास्ता भी राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिससे गैरसायल कभी भी रास्ता को बन्द कर सकते है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा।

सायल उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है एवं रास्ते के बदले में भूमि या डीएलसी दर से राशि देने के लिये भी तैयार है प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार करवाने का अधिकारी है

सायल ने गैरसायल को कई मर्तबा कहा की उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकार करवा ले तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अत सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोज चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 8/5 के प0न0 336/443 (55) के किला न0 22/2 के मिन पश्चिम में 0.0130हैक्क व गैरसायल न0 1 के खाता संख्या 6/3 के प0न0 336/443(55) के किला न0 19/2 के मिन पश्चिम में 0.0130हैक रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज

Scanned with CamScanner

नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

गैरसायल न0 4 की और पेरोकार राज उपस्थित आकर निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों को गैरसायल न0 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि सायल की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे पेरोकार राज ने भी रास्ता स्वीकृत करने में किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया है इसप्रकार पक्षकारो की सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकार फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायल के अधिवक्ता ने भी निवेदन किया की सायल की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की पक्षकारों की आपसी सहमति से रास्ता स्वीकार किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है एवं एक ही परिवार के सदस्य है सायल अपनी खाातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः साायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोज चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 8/5 के प0न0 336/443 (55) के किला न0 22/2 के मिन पश्चिम में 0.0130हैक्क व गैरसायल न0 1 के खाता संख्या 6/3 के प0न0 336/443(55) के किला न0 19/2 के मिन पश्चिम में 0. 0130हैक रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/4/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner